संख्या-254/2023/1536/22-2-2022-17(117)/2018

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र स्व0 मनफूल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12-04-2022) दिनांक-06-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र स्व0 मनफूल, जो ग्राम-कान्हाहेडी, थाना-चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने नाली के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 26.08.2000 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.10.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.10.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 21 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है बन्दी ने नाली के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 26.08.2000 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र स्व0 मनफूल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर (बन्दी संख्या-7899) पुत्र स्व0 मनफूल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-254/2023/1536(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-254/2023/1536/22-2-2022-17(117)/2018

दिनांक 29 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र स्व0 मनफूल, जो ग्राम-कान्हाहेडी, थाना-चरथावल, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने नाली के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 26.08.2000 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-168/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.10.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.10.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 21 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है बन्दी ने नाली के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 26.08.2000 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र स्व0 मनफूल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।